

०५/०५

पजावनी भाविकता वादी
प्राप्य वरुं कुम न विवाह
के तलव्य डेकर पशु
वादी श्रम डेकर वादी
भावे जे भाविकता डेकर
डेकर भाविकता डेकर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी



प्रथम पत्र प्रस्तुत कर न्याया-
 लय में दिखाने के लिये उक्त
 में न्याय कार्यवाही नहीं चलने
 का निवेदन किया गया है।
 वादी स्वयं इस आवेदन
 पर 107 प्रथम अंकात कर
 कार्यवाही नहीं चलने का
 निवेदन किया गया है। परन्तु
 का अवलोकन किया मज
 किया वादी की ओर से
 नुकीलित अधिवक्ता इस संबंध
 वादी में न्याय कार्यवाही नहीं
 चलने का निवेदन किया
 गया है। लिहाज से वादी स्वयं
 अपना वाद न्याय नहीं चलाना
 चाहता है। निम्न विज्ञापन में
 अधिवक्ता किया जाता है।
 परन्तु की उक्त निम्न
 इन्जाज की लखर को
 अधिवक्ता कार्यवाही भी
 उक्त में ही जारी भी
 मुक्त न्यायालय में सुनाना
 वादी

Notpress

10/1/21

सुनील

Identify

by me

मह
म.

सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी